संख्या-1/2026/1078/35-4-2025/35-4099/27/2024

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गोरखपुर ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांकः 05 जनवरी, 2026

विषय: जनपद-गोरखपुर में वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में त्वरित आर्थिक विकास योजनांतर्गत जनपद गोरखपुर के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत शासनादेश सं0-112/2024/121/35-4-2024/35-4099/27/2024 दिनांक 08 मार्च, 2024 द्वारा स्वीकृत 89 कार्यों में से प्रश्नगत 10 कार्यों **(शासनादेश दिनांक- 08 मार्च, 2024 के क्र0सं0-06,14,25,30,40,53, 56,69,77 एवं 79 पर अंकित)** की अनुमोदित लागत रू0 1074.45 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए हेतु प्रथम किस्त के रूप में रू0 644.67 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

2- आपके पत्र संख्या- 962/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 द्वारा उक्त शासनादेश से स्वीकृत प्रश्नगत 10 कार्यों की अनुमोदित लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग किया जाना एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को घटाने के पश्चात अवशेष धनराशि रू0 303.83 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3- अत: उक्त के क्रम में प्रश्नगत 10 कार्यों हेतु उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 से स्वीकृत एवं गठित अनुबंध से हुई बचत की धनराशि को समायोजित करते हुए जनपद की मांग के अनुसार देय अवशेष धनराशि रू0 303.83 लाख (रूपये तीन करोड़ तीन लाख तिरासी हजार मात्र) को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन एतद्द्वारा आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(धनराशि रू. लाख में)

क्र0 एवं शासनादेश (दिनांक-08 मार्च, 2024) क्रमांक	**कार्य का नाम**	**अनुमोदित लागत**	**निविदा उपरांत कार्य की कुल लागत**	**प्रथम किस्त में अवमुक्त धनराशि**	**अवमुक्त धनराशि**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1 (शासनादेश क्रमांक-6)	सेमरा में मोगलहा पेट्रोल पम्प से अमित कुमार पटेल के मकान होते हुये इन्द्रावती देवी के मकान तक सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	98.63	75.06	59.18	15.88
2 (शासनादेश क्रमांक-14)	जंगल सिकरी में मोहल्ला राम अवध नगर में विभिन्न गलियों में जल निकासी हेतु आर० सी०सी०	187.13	155.88	112.28	43.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	नाला व आलोक सिंह के मकान से मानवीय हास्पिटल होते हुये देवरिया रोड तक सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।				
3 (शासनादेश क्रमांक-25)	नकहा के अन्तर्गत गायत्रीपुरम में लिटिल वान्डर स्कूल से सुखदेव के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	114.19	94.19	68.51	25.68
4 (शासनादेश क्रमांक-30)	मोहरीपुर में भीमराम भारती के मकान से स्वतन्त्रप्रकाश के मकान तक व अन्य गलियों में सी०सी० सड़क व आर०सी०सी० नाली निर्माण का कार्य।	114.76	111.32	68.86	42.46
5 (शासनादेश क्रमांक-40)	झरनाटोला में नाथ जी मेमोरियल एकेडमी गेट से राजू के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर०सी०सी नाली व सी०सी० सड़क का कार्य।	77.97	64.04	46.78	17.26
6 (शासनादेश क्रमांक-53)	गायघाट में सिंघासन यादव के मकान से अनिरूद्ध यादव के मकान तक व लिंक गलियों आर० सी०सी० नाली सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	80.21	67.38	48.13	19.25
7 (शासनादेश क्रमांक-56)	शाहपुर में राप्ती काम्पलेक्स के चारो ओर सी०सी० रोड व नाली निर्माण का कार्य।	60.17	58.97	36.10	22.87
8 (शासनादेश क्रमांक-69)	सूरजकुण्ड में भूतपूर्व सैनिक राधेश्याम सिंह के मकान से पूल से होते हुये श्री निवास तक आर०सी० सी० नाला व सी०सी० सड़क का निर्माण।	116.35	114.02	69.81	44.21
9 (शासनादेश क्रमांक-77)	चन्द्रशेखर आजाद चौक रूस्तमपुर चिलमापुर मुख्य मार्ग पर स्थित आजाद ट्रेडर्स से जामिया रिजविया ईदगाह चौक होते हुये चिलमापुर मुख्य मार्ग पर स्थित अताउल्लाह के मकान तक व इससे संलग्न विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली का निर्माण एवं सी०सी० सड़क का निर्माण कार्य।	117.72	115.37	70.63	44.74
10 (शासनादेश क्रमांक-79)	प्रतापनगर में नूर मस्जिद से रमाशंकर के मकान तक व विभिन्न गलियों में आर०सी०सी० नाली व सी०सी० सड़क निर्माण कार्य।	107.32	92.27	64.39	27.88
	योग	**1074.45**	**948.50**	**644.67**	**303.83**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 08 मार्च, 2024 की शर्तें यथावत लागू रहेगी।
2. प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।
3. परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक, डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्कतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
4. कार्यों को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
5. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त, अनाहरित बचती है, तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2026 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रू0 3,03,83000 (रूपये तीन करोड़ तीन लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 040 लेखाशीर्ष-5054043370304 शहरी क्षेत्रों में सड़कों के चालू कार्यों हेतु एक एकमुश्त व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

संख्या- 1/2026/1078(1)/35-4-2025/35-4099/27/2024,तद्दिनांक |

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव /विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7. मंडलायुक्त, गोरखपुर मण्डल ।
8. नगर आयुक्त,नगर निगम गोरखपुर।
9. मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर ।
10. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर ।
11. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, गोरखपुर ।
13. अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम गोरखपुर।
14. संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफारमेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
15. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, नियोजन विभाग।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
दुर्गा प्रसाद
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।